न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 33/2017 दायरा दिनांक : 28.02.2017

उनवान

मोहनलाल आत्मज श्री भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी भवानीमण्डी तहसील पचपहाड जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1— राकेश कुमार पुत्र रमेशचन्द्र

2— श्रीमती ललिता पत्नी राकेश कुमार

अकवाम जाति प्रजापति निवासी जयपुर हाल निवासी भवानीमण्डी कोटा

3— सीताराम आत्मज भंवरलाल जाति नाथ बाबा

4— चम्पालाल आत्मज कन्हैयालाल जाति नाथ बाबा

5— राधा बाई पुत्री कन्हैयालाल जाति नाथ बाबा

6— कौशल्या बाई पुत्री कन्हैयालाल जाति नाथ बाबा

7— सुगन बाई विधवा कन्हैयालाल जाति नाथ बाबा

8— विनोद आत्मज कन्हैयालाल नाबालिग जर्ये वली माता सुगन बाई पत्नी कन्हैयालाल जाति नाथ बाबा

अकवाम निवासीगण ग्राम रामठी भवानीमंडी जिला झालवाड राजस्थान

9— श्रीमती नम्रता पत्नी प्रफुल्ल जाति ब्राम्हण निवासी भवानीमण्डी झालावाड

10— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड भवानीमण्डी जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री सी.पी. खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रमेशचन्द सोनी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.12.2018

अपील विरूद्ध आदेश अंतिम डिक्री दिनांक 23–01–2017 उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 आरटीए के अन्तर्गत निम्न कारणों से पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी ख.नं. 141 की रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये दिनांक 23–01–2017 को पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरी है।

बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्तियां दर्ज करने व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, बंटवारा प्रस्ताव मौके पर नहीं बनाया गया। बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलांट को रोड के पीछे की व रेस्पोडेंट को रोड साइड की जमीन दी गई जो बंटवारा नियमों के विपरीत है। बंटवारा प्रस्ताव में नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री दिनांक 23–01–2017 को निरस्त कर रिमाण्ड किया जावे तथा आदेशित किया जावे कि बंटवारा प्रस्ताव सभी पक्षकारानों की उपस्थिति में तहसीलदार पचपहाड द्वारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार की जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई, नोटिस जारी किये गये। उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन कर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त प्रारंभिक बटंवारा प्रस्ताव पर अपीलांट की उपस्थिति दर्ज नहीं है। बटंवारा प्रस्ताव

मौके पर बनाना प्रमाणित नहीं है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–01–2017 को अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते की जाकर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार स्तर के अधिकारी से मौके पर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में बटंवारा प्रस्ताव पुनः प्राप्त करे। बटंवारा प्रस्ताव पर सभी पक्षकारों की सुनवाई करते हुए आपत्ति का निस्तारण कर गुणावगुण के आधार पर करते हुए राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए निर्णय पारित करे। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 25–02–2019 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 31**.12.2018** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा